

// निर्णय //

“आज दिनांक 11.08.2026 को घोषित किया गया”

- 1— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 119/177 MVA का अभियोग है।
- 2— अभियुक्त द्वारा की गई स्वेच्छया जुर्म स्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को धारा 119/177 MVA में दोषी ठहराया जाता है।
- 3— अतः अभियुक्त जय सिंह को यातायात संकेतों का उल्लंघन कर वाहन चलाने पर धारा 119/177 MVA के अपराध के आरोप में अर्थदण्ड 500/— (पांच सौ रुपये) से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक दिवस का कारावास पृथक से भुगताया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

स्थान — सतना
दिनांक—11.08.2026

सही/—
(प्रवीण कुमार सौंधिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सतना (म.प्र.)

सही/—
(प्रवीण कुमार सौंधिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सतना (म.प्र.)